प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश सुरक्षित रखा गया : 03/03/2025

आदेश पारित रखा गया : 09/05/2025

दाण्डिक विविध याचिका सं. 2593/2019

1 - स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (भिलाई इस्पात संयंत्र) महामाया दुल्की आयरन एंड माइन्स, महामाया, तहसील दौंडी, जिला बालोद छत्तीसगढ़, द्वारा- पावर ऑफ अटॉर्नी (मुख़तारनामा) धारक श्री विनोद कुमार वर्मा

2 - श्री एस. के. साहा, ई. डी. माइंस, कक्ष क्र. 584, पंचम तल, इस्पात भवन, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3 - श्री एस. के. मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक, माइंस (खान), कक्ष क्र. 5-**B**, इस्पात भवन, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़

4 - श्री एन. के. मंडल, उप महाप्रबंधक, माइंस (खान), द्वारा- महाप्रबंधक माइंस (खान), लौह अयस्क परिसर, दल्लीराज्हरा, जिला- बालोद, छत्तीसगढ़

5 - श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, महाप्रबंधक, माइंस (खान), कक्ष क्र. 584, पंचम तल, इस्पात भवन, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़

6 - श्री ए. के. मिश्रा, महाप्रबंधक, माइंस (खान), कक्ष क्र. 584, पंचम तल, इस्पात भवन, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़

7 - श्री धनंजय सिंह, तत्कालीन माइंस (खान) प्रबंधक, द्वारा- महाप्रबंधक, माइंस (खान), लौह अयस्क परिसर, दल्लीराज्हरा, जिला- बालोद, छत्तीसगढ़

8 - श्री तपन सूत्रधर, तत्कालीन माइंस (खान) प्रबंधक, द्वारा- महाप्रबंधक, माइंस (खान), लौह अयस्क परिसर, दल्लीराज्हरा, जिला- बालोद, छत्तीसगढ़

9 - श्री डी. के. सलाम, तत्कालीन माइंस (खान) प्रबंधक, द्वारा- महाप्रबंधक, माइंस (खान), लौह अयस्क परिसर, दल्लीराज्हरा, जिला- बालोद, छत्तीसगढ़

10 - श्री एम.के.टी.पी. दत्ता, तत्कालीन माइंस (खान) प्रबंधक, उप महाप्रबंधक, योजना और विकास (आर. एम. डी.) परियोजना भवन, राउरकेला इस्पात संयंत्र, डाकघर- राउरकेला, जिला- सुंदरगढ़, ओडिशा, पिन- 769011

11 - श्री सी. श्रीकांत, तत्कालीन खदान प्रबंधक, महाप्रबंधक के माध्यम से, खान लौह अयस्क परिसर, दल्लीराजरा, जिला बालोद छत्तीसगढ़

12 - श्री आर. के. सिन्हा महाप्रबंधक के माध्यम से तत्कालीन खदान प्रबंधक, खान लौह अयस्क परिसर, दल्लीराजहरा, जिला बालोद छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

..... याचिकाकर्ताओं

बनाम

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़

..... उत्तरवादी

याचिकाकर्ताओं की ओर से : सुश्री पिंकी आनंद, श्री रुपेश कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अंकित सिंघल और सुश्री सौदामिनी शर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी की ओर से : श्री अभिजीत मिश्रा, अधिवक्ता।

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

सी. ए. वी. आदेश

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, द.प्र.सं.) की धारा 482 के तहत प्रस्तुत यह याचिका पुनरीक्षण सं. 59/2018 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला बालोद द्वारा पारित 29.03.2019 दिनांकित आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा दाण्डिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दल्लीराजहरा, जिला- बालोद द्वारा पारित 11.09.2017 दिनांकित आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर 11.09.2017 दिनांकित आदेश की पुष्टि की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता सं. 1 कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत निगमित और पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है और भारत में लोहा और इस्पात की सबसे बड़ी उत्पादक है। याचिकाकर्ता सं. 2 से 12 याचिकाकर्ता सं. 1 कंपनी के अधिकारी हैं या थे। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड (अब सेल) को पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 05.05.1971 को 30 वर्ष की अवधि अर्थात् 04.11.1971 से 03.11.2021 तक के लिए लौह अयस्क के खनन के लिए दुर्ग जिले के महामाया- दुल्की क्षेत्र में 1522 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टा प्रदान किया गया था। पट्टा प्रदान किए जाने के समय महामाया और दुल्की दोनों पहाड़ियां दुर्ग जिले के प्रशासनिक नियंत्रण में थीं। तत्पश्चात् नए जिले (राजनंदगांव) के गठन के साथ, दुल्की राजनंदगांव जिले के अंतर्गत आ गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (संक्षेप में, एम. ओ. ई. एफ. सी. सी.) ने 27.01.194 को विकास परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पर अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किसी भी गतिविधि (यदि प्रदूषण का भार मौजूदा से अधिक है) या अनुसूची I में सूचीबद्ध किसी नई

परियोजना का विस्तार या आधुनिकीकरण, भारत के किसी भी भाग में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरण मंजूरी (पर्यावरण मंजूरी) नहीं दी गई हो। "पहले से शुरू की गई परियोजना के लिए छूट" शीर्षक के तहत 'स्पष्टीकरण नोट' की कण्डिका 8 में यह कहा गया था कि "अधिसूचना की अनुसूची I में सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए जिनके संबंध में आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया गया है और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित राज्य सरकार की सभी सुसंगत मंजूरी 27.01.1994 से पहले प्राप्त कर ली गई है, किसी परियोजना प्रस्तावक को आई. ए. ए. से पर्यावरण मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी"। सेल ने 02.11.2000 को खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया था जिसे एम. सी. आर. के नियम 24क के उपबंधों के संदर्भ में 04.11.2021 के प्रभाव से 03.11.2021 तक 20 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया गया था। 12.02.2022 को मंत्रालय ने खनन पट्टा के नवीनीकरण के मामलों में ई. आई. ए. 1994 के लागू होने के संबंध में परिपत्र जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि यदि मूल रूप से स्वीकृत पट्टा क्षेत्र और/या उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है तो खनन पट्टा के नवीनीकरण के समय पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। 28.10.2004 को मंत्रालय ने एक अन्य परिपत्र जारी किया और आगे स्पष्ट किया कि 5 हेक्टेयर से अधिक पट्टे वाले क्षेत्र के प्रमुख खनिजों की सभी खनन परियोजनाएं, जिन्होंने अब तक ई. आई. ए. 1994 के तहत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं किया है, एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य (2004) 12 एस. सी. सी. 118 के के में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में अपने पट्टे के नवीनीकरण के समय ऐसा करेंगी। बिंदु III (ग) में "विस्तार" शब्द को समझाया गया था कि यदि 1994-95 के बाद से किसी भी वर्ष का वार्षिक उत्पादन 1993-94 के वार्षिक उत्पादन या उसके पिछले वर्ष (भले ही आई.बी.एम. द्वारा अनुमोदित हो) से अधिक हो, तो यह विस्तार का गठन करेगा। सेल ने इस खनन पट्टे से लौह अयस्क के उत्पादन स्तर [0.96 एम. टी. पी. ए.] को कभी भी पार नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. ने 14.09.2006 को ई. आई. ए. 1994 को उपशमित करते हुए अधिसूचना (ई. आई. ए. 2006") जारी की, जिसमें निर्देश दिया गया कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नई परियोजनाओं या खनन गतिविधियों का आवश्यक निर्माण या इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध मौजूदा परियोजनाओं या गतिविधियों का विस्तार या आधुनिकीकरण, जिसमें प्रक्रिया और/ या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ क्षमता वृद्धि शामिल है, भारत के किसी भी भाग में केन्द्र सरकार से पूर्व पर्यावरण मंजूरी के बाद या राज्य विधिक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा, इस अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा। 12.12.2006 को सेल ने एक नया खनन खंड अर्थात् 60 हेक्टेयर क्षेत्रफल का दुल्की खोलकर उत्पादन क्षमता को मौजूदा 0.96 एम. टी. पी. ए. से बढ़ाकर 1.46 एम. टी. पी. ए. करने योजना बनाई। तदानुसार, ई. आई. ए. 2006 के संदर्भ में, सेल ने प्राथमिकता के आधार पर पर्यावरण मंजूरी प्रदान किए जाने हेतु आवेदन किया। इसके बाद, 02.07.2007 को, भारत सरकार ने यह स्पष्ट करते हुए परिपत्र जारी किया कि जिन सभी खनन परियोजनाओं को ई. आई. ए. अधिसूचना 2006 के तहत ई. आई. ए. मंजूरी (पर्यावरण मंजूरी) की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उस समय ई. आई. ए. मंजूरी की आवश्यकता होगी जब खनन पट्टा नवीनीकरण के लिए देय होगा यदि उत्पादन या पट्टा क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। चूंकि सेल पट्टा 2021 तक नवीनीकरण के लिए नहीं आया था और खनन क्षेत्र या उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी इसलिए ई. आई. ए./पर्यावरण मंजूरी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। इस बीच, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में प्रधामंत्री कार्यालय को सेल दुल्की माइंस के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई। सेल ने तुरंत जवाब दिया और सभी विवाद्यकों को स्पष्ट किया। एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. ने मंत्रालय को सूचित करते हुए विधि और प्रक्रिया के अनुसार परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार, पर्यावरण विभाग को 10.01.2013 को एक पत्र भेजा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26.03.2015 को सेल को उत्पादन क्षमता 0.96 एम.टी.पी.ए. से 1.46 एम.टी.पी.ए. तक बढ़ाने हेतु एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा ई.सी. प्रदान की गई।

4. इसके बाद, ई. आई. ए. 2006 के उल्लंघन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 और 16 के साथ पठित धारा 19 और जल अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत सेल के विरुद्ध 31.01.2017 को अर्थात् 4 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा एक परिवादी प्रकरण दायर किया गया। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दल्ली-राजहरा, जिला बालोद ने शिकायत का संज्ञान लिया और 11.09.2017 को आदेशिका (प्रोसेस) जारी की। उसी से व्यथित होकर, सेल ने प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बालोद के समक्ष द.प्र.सं. की धारा 397 के तहत दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 59/2018 प्रस्तुत की, जिन्होंने 29.03.2019 दिनांकित आदेश के माध्यम से उक्त पुनरीक्षण को खारिज कर दिया, जिसे यहां चुनौती देने की मांग की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री पिंकी आनंद और श्री रुपेश कुमार निवेदन करते है कि जहां यह पाया जाता है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध के नहीं बनाते हैं या जहां यह पाया जाता है कि शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण नहीं बनाते हैं वहाँ माननीय उच्च न्यायालय विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 483 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने में सही होगा। आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1), 2 (5) के साथ पठित धारा 15 और 16 के तहत उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत में दिए गए तथ्यों और आरोपों का

केवल परिशीलन, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रकरण भी नहीं दर्शाता है। शिकायत में यह स्वीकार किया गया है कि सेल के पास 0.96 मीट्रिक टन की खनन क्षमता के लिए वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1975 के तहत सभी आवश्यक अनुमतियाँ और अनुमोदन थे और इन्हें 22.06.1993 से 31.07.2016 तक नियमित रूप से नवीनीकृत किया गया था। यद्यपि, गलत तरीके से 12.02.2002, 28.10.2004, 07.12.2004 और 25.04.2005 के परिपत्रों पर भरोसा करके, यह आरोप लगाया है कि सेल को अपने खनन पट्टे के नवीनीकरण के समय पर्यावरण मंजूरी (पर्यावरण मंजूरी) प्राप्त करने की आवश्यकता थी जो 03.01.2001 तक वैध था। यह आरोप भी लगाया गया है कि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना, सेल ने अपनी खनन गतिविधियों को जारी रखा और निम्नलिखित मात्रा में लौह अयस्क का खनन किया। शिकायत में यह स्वीकार किया गया है कि 2001-02 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान उत्पादन 0.96 मीट्रिक टन की स्वीकृत उत्पादन क्षमता के भीतर था और इसलिए स्वीकृत क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। उत्तरवादी द्वारा उत्तर में यह स्वीकार किया गया था कि याचिकाकर्ता उद्योग द्वारा प्रश्नाधीन खदान के संबंध में मूल रूप से स्वीकृत पट्टा क्षेत्र और/या उत्पादन स्तर में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, जैसा कि एम.ओ.ई.एफ. के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा भी पुष्टि की गई है। यह आरोप लगाया गया था कि इस तरह की खनन गतिविधियाँ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी ई. आई. ए. अधिसूचना का भी उल्लंघन करती हैं, जो उक्त अधिनियम की धारा 3 (1), (2) खंड 5 के साथ पठित धारा 15 और 16 के तहत दण्डनीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. सुश्री आनंद निवेदन करती हैं कि 27.01.1994 दिनांकित ई. आई. ए. अधिसूचना सहपठित 27.01.1994 दिनांकित प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के संबंध में स्पष्टीकरण लेख की कण्डिका 8 सेल को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने से स्पष्ट रूप से छूट प्रदान करती थी क्योंकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित राज्य सरकार की

सभी सुसंगत मंजूरी प्राप्त थीं। जैसा कि शिकायत में स्वीकार किया गया है, खनन पट्टा 03.11.2001 तक वैध था और उसके बाद इसका नवीनीकरण कराया जाना था। याचिकाकर्ताओं ने वैधानिक आवश्यकता के अनुसार पट्टे की समाप्ति की तारीख से कम से कम एक वर्ष अर्थात् 02.11.2000 को नवीनीकरण के लिए विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया था। वस्तुतः खनन पट्टे को 20 वर्ष की अवधि अर्थात् 04.11.2001 से 03.11.2021 तक के लिए नवीनीकृत किया गया था। 04.11.2001 से पहले और बाद की इन सभी अवधियों के दौरान, याचिकाकर्ता नियमित रूप से अन्य सभी सुसंगत वैधानिक जानकारी के साथ ई. पी. नियमों के नियम 14 के तहत पर्यावरणीय विवरण प्रस्तुत कर रहे थे। सभी सूचनाओं को संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया था और खनन पट्टा 04.11.2001 के प्रभाव से नवीनीकरण के समय पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में कभी कोई विवाद नहीं उठाया गया था। इसके अलावा, सेल ने मूल स्वीकृत पट्टा और/या उत्पादन अर्थात् 0.96 मीट्रिक टन (96000 टन) में कभी वृद्धि नहीं की, जैसा कि शिकायत की कण्डिका 12 में भी स्वीकार किया गया है। यह तथ्य कि सेल को खनन पट्टे के नवीनीकरण के समय पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, जो कि 03.11.2001 तक वैध है, शिकायत में अवलंब लिए गए 12.02.2002 दिनांकित परिपत्र द्वारा स्पष्ट रूप से समर्थित है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि मूल रूप से स्वीकृत पट्टे और/या उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी तो खनन पट्टे के नवीनीकरण के समय पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। खनन पट्टे के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख या 03.11.2001 तक, स्वीकृत तौर पर याचिकाकर्ताओं ने उत्पादन में वृद्धि नहीं की थी और यह शिकायत में बताए गए आंकड़ों के अनुसार स्वीकृत सीमा अर्थात् 0.96 एम. टी. ए. [96000 टन] बना रहा।07.12.2004 दिनांकित शुद्धिपत्र के साथ पठित 28.10.2004 दिनांकित परिपत्र जिनका शिकायत में अवलंब लिया गया है, जिन्होंने 12.02.2002 दिनांकित परिपत्र को संशोधित किया, उपबंधित करता था कि 5 हेक्टेयर से अधिक पट्टा क्षेत्र की प्रमुख

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खनिजों की सभी खनन परियोजनाएं जिन्होंने अब तक ई. आई. ए. अधिसूचना, 1994 के तहत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं की है, वे अपने पट्टा के नवीनीकरण के समय ऐसा करेंगे।25.04.2005 दिनांकित परिपत्र, जिस का शिकायत में भी अवलंब लिया गया है, आगे यह निर्धारित करता है कि "खनन इकाइयाँ जो 994 पूर्व या उससे कम क्षमता पर काम करना जारी रखती हैं और जिन्हें अधिसूचना(ओं) के लागू होने के बाद अब तक नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है, वे नवीनीकरण के समय और जब भी शोध्य हो, पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करेंगी।"

7. सुश्री आनंद ने आगे निवेदन किया कि पट्टा अवधि पहले से ही 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी। 12.02.2002, 28.10.2004, 07.12.2004 और 24.05.2005 दिनांकित उक्त परिपत्रों के जारी होने से बहुत पहले, और खनन पट्टा के नवीनीकरण संबंधित तीन परिपत्रों के जारी होने की तारीख को केवल 03.11.2021 पर शोध्य हुआ था। उक्त परिपत्रों का याचिकाकर्ताओं के प्रकरण पर कोई असर नहीं होगा और वे याचिकाकर्ताओं के प्रकरण का समर्थन करते हैं। इस प्रकार, उक्त चार परिपत्रों पर शिकायत में दी गई निर्भरता पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ताओं ने 14.09.2006 दिनांकित ई. आई. ए. अधिसूचना का उल्लंघन नहीं किया है, जिसमें नई परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ताओं की परियोजना नई नहीं थी और एक बार जब याचिकाकर्ताओं के खनन पट्टे का 14.09.2006 दिनांकित उक्त ई. आई. ए. अधिसूचना जारी होने से पहले ही नवीनीकरण हो गया था, तो उक्त अधिसूचना के तहत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि एम. ओ. ई. एफ. द्वारा ई. आई. ए. अधिसूचना की प्रयोज्यता के संबंध में 02.07.2007 दिनांकित परिपत्र के माध्यम से यह कहते हुए स्पष्ट किया गया है कि "ऐसी सभी खनन परियोजनाएं जिन्हें ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 के तहत पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी, वे तब तक पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना काम करना जारी रखेंगी जब तक कि खनन पट्टा नवीनीकरण के लिए देय नहीं हो जाता है, यदि पट्टा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है और/या उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है।" यह न तो शिकायत में आरोप है और न ही यह तथ्य है कि याचिकाकर्ताओं ने कभी पट्टे के क्षेत्र में वृद्धि की थी या उत्पादन में वृद्धि हुई थी। जहां तक खनन पट्टा के नवीनीकरण का संबंध है, जो उक्त ई. आई. ए. अधिसूचना सं. 14.09.2006 जारी करने से पहले ही नवीनीकृत हो चुका है, अतः उक्त ई. आई. ए. ए. अधिसूचना का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने ई. आई. ए. 2006 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया था, जिसके लिए आवश्यक है कि इसके प्रकाशन की तारीख से नई परियोजनाओं या गतिविधियों के निर्माण की आवश्यकता या उक्त ई. आई. ए. 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध मौजूदा परियोजनाओं या गतिविधियों का विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ क्षमता वृद्धि, के ंद्र सरकार से पूर्व पर्यावरण मंजूरी के बाद या राज्य विधिक पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा, उक्त ई. आई. ए. 2006 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी।वस्तुतः याचिकाकर्ताओं ने ई. आई. ए. 2006 का विधिवत अनुपालन किया है क्योंकि एक बार सेल द्वारा उत्पादन क्षमता में विस्तार के लिए निर्णय लिए जाने के बाद, प्राथमिकता के आधार पर पर्यावरण मंजूरी प्रदान किए जाने के लिए 12.12.2006 को एक आवेदन [@ पृत्र 246/आवेदन पत्र पेपर बुक] प्रस्तुत किया गया था क्योंकि उत्पादन क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। उसके अग्रसरण में 26.03.2015 को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, इन सब के दौरान याचिकाकर्ताओं को वायु एवं जल अधिनियम के अंतर्गत सी.टी.ओ. प्रदान किया गया था जिनका तब से नियमित रून से नवीनीकरण कराया जा रहा है जैसा कि शिकायत में भी स्वीकार किया गया है तथा उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, जिसे भी शिकायत में स्वीकार किया गया है। शिकायत, को उसके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार कर लिया जाए तो भी प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई अपराध या प्रकरण निर्मित नहीं होता है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवादी द्वारा अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों का विश्लेषण किए बिना आदेशिका जारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की है। अभियुक्त को समन्स करने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने प्रकरण के तथ्य और उस पर लागू विधि पर अपने विवेक का उपयोग किया है। विद्वान मजिस्ट्रेट को शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और उसके समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए थी और यह भी जांच करनी चाहिए थी कि क्या यह अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त होगा। **पेप्सी फूड्स लिमिटेड व एक अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट** {(1998) 5 एस. सी. सी. 749}, **ईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य** (2025 आई. एन. एस. सी. 128) तथा **मेसर्स जे. एम. लैबोरेटरीज व अन्य बनाम बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (2025 आई. एन. एस. सी. 127)** के मामलों में सर्वोच्च न्यालालय के निर्णयों का अवलंब लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. प्रस्तुत प्रकरण में, ऐसा प्रतीत होता है कि समन्स जारी करते समय, विद्वान मजिस्ट्रेट ने दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया है और/या शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति के साथ-साथ उसके समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों की जांच नहीं की है। शिकायत में निर्दिष्ट परिपत्रों के साथ ई. आई. ए. अधिसूचना के परिशीलन मात्र से पता चलता कि याचिकाकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के तहत कोई अपराध कारित नहीं किया है। यदि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत के भाग के रूप में इन दस्तावेजों को देखा होता तो वे स्पष्ट रूप से मूल्यांकन करते कि परिवादी द्वारा इस आरोप को साबित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों के उपबंधों का उल्लंघन किया था। शिकायत में दिए गए कथनों/आरोपों को वाचन भी याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण सामने नहीं लाता है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आदेशिका जारी करने के लिए कोई कारण भी दर्ज नहीं किया है, सिवाय इसके कि परिवादी एक लोक सेवक है और इस प्रकार, उसका या अन्य साक्षियों का कथन संज्ञान लेने से पहले धारा 200 द.प्र.सं. के संदर्भ में

अभिलिखित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला-बालोद, छत्तीसगढ़ का न्यायालय भी 29.03.2019 दिनांकित आक्षेपित आदेश के माध्यम से उक्त अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को ठीक करने में विफल रहा। सुश्री आनंद ने यह भी कहा कि दाण्डिक परिवाद दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हो रही है। यद्यपि एम. ओ. ई. एफ. द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के हेतु 10.01.2013 दिनांकित पत्र के माध्यम से निर्णय लिया गया था, लेकिन धारा 15 और 16 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए दाण्डिक परिवाद 4 वर्ष से अधिक समय के बाद 5 वर्ष के कारावास और अर्थदण्ड के लिए प्रस्तुत की गई। **हसमुखलाल डी वोरा व एक अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य** (2022) 15 एस. सी. सी. 164} के प्रकरण में सर्वोच्च न्यालालय के निर्णय का अवलंब लिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में, उत्तरवादी ने प्रारंभिक स्थल निरीक्षण, कारण बताओ नोटिस और शिकायत के मध्य चार वर्ष से अधिक के विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वस्तुतः इस तरह के स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति केवल न्यायालय को दाण्डिक कार्यवाही शुरू करने के पीछे कुछ भयावह उद्देश्य का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करती है। यद्यपि अपने आप में अत्यधिक विलंब एक दाण्डिक परिवाद को रद्द करने के लिए आधार नहीं हो सकती है, ऐसे मामलों में, इस तरह की अवधि की अस्पष्टीकृत अत्यधिक विलंब को एक दाण्डिक परिवाद को रद्द करने के आधार के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में विचार किया जाना चाहिए। इसलिए यह याचिका स्वीकार की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दूसरी ओर, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिजीत मिश्रा निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उत्तरवादी (परिवादी) का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के तहत शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उपरोक्त अधिनियम की पूरी योजना के तहत, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल अर्थात्

राज्य मण्डल या राज्य मण्डल के अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु शक्ति प्रत्यायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। सुने जाने के अधिकार के अभाव में उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पोषणीय नहीं है। अधिनियम की धारा 19 के तहत उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्राधिकार के साथ है, जो उसमें की गई सभी कार्रवाइयों सहित पूरी कार्यवाही को विधिक और विधि के अधिकार के अधीन बनाता है। उपरोक्त कथनों के समर्थन में, श्री मिश्रा निवेदन करते हैं कि 16 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना एस. ओ. 394 (**E**) के माध्यम से केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए राज्य पर्यावरण संरक्षण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिकृत किया है। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य-सचिव को शिकायत दर्ज करने की अपनी शक्ति भी प्रत्यायोजित कर दी गई थी। इसके अलावा परिवादी ने अनुलग्नक 2 के रूप में शिकायत के साथ 11.09.2002 दिनांकित कार्यालय आदेश प्रस्तुत कर था जिसमें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी को अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की आपत्ति कि उत्तरवादी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दायर की गई शिकायत बिना किसी प्राधिकरण के है, जो उसमें की गई सभी कार्रवाइयों सहित पूरी कार्यवाही को अवैध और विधि में किसी भी अधिकार के बिना स्वीकार करने योग्य नहीं है और उपरोक्त तर्कों के आलोक में खारिज किए जाने योग्य है। यह निवेदन किया गया है कि में शिकायत के की कण्डिका 12 के कथन के अनुसार यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को 30 वर्ष के लिए खनन पट्टा प्रदान किया गया था जिसकी वैधता 05.05.1971 से 03.01.2001 तक थी। खनन पट्टे के नवीनीकरण से पहले, याचिकाकर्ताओं के लिए एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. से उचित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य था। खनन पट्टा समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ता उद्योग ने महामाया दुल्की खानों के खनन पट्टे के नवीनीकरण के समय किसी भी पर्यावरण मंजूरी की मांग नहीं की। यद्यपि, इस माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त आधार लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर किया गया बचाव यह है कि खंड 3 (घ) में खनन और मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए नवीकरण मामलों पर अधिसूचना की प्रयोज्यता को स्पष्ट करते हुए एम. ओ. एफ. सी. सी. द्वारा जारी 12.02.2002 दिनांकित परिपत्र (अनुलग्नक **A**/9) के अनुसार याचिकाकर्ता उद्योग द्वारा वर्ष 2001 में अपने खनन पट्टे के नवीनीकरण के समय पर्यावरण मंजूरी की मांग करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मूल रूप से स्वीकृत पट्टा क्षेत्र और/या उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. ने 02.07.2007 दिनांकित परिपत्र के माध्यम से 14 सितंबर, 2006 की ई. आई. ए. अधिसूचना को प्रमुख खनिजों के लिए 5 हेक्टेयर के खनन पट्टों और लघु खनिजों के खनन पट्टों पर लागू करने के बारे में स्पष्ट किया था, जो उक्त अधिसूचना लागू होने से पहले चालू थे, जो वर्तमान याचिकाकर्ता उद्योग की स्थिति है। श्री मिश्रा निवेदन करते हैं कि निश्चित रूप से, प्रश्नाधीन खदान के संबंध में याचिकाकर्ता उद्योग द्वारा मूल रूप से स्वीकृत पट्टा क्षेत्र और/या उत्पादन स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जैसा कि पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम. ओ. ई. एफ.) के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा भी पुष्टि की गई है। यही कारण था कि राज्य सरकार ने वर्ष 2005 में 2001 से अर्थात् ई. आई. ए., 2006 के लागू होने से पहले याचिकाकर्ता उद्योग के खनन पट्टे का नवीनीकरण किया था। ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 के लागू होने के साथ उपरोक्त 02.07.2007 दिनांकित परिपत्र (अनुलग्नक **R**/5) जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि ऐसी सभी परियोजनाएं जो बिना किसी पर्यावरण मंजूरी के काम कर रही हैं, वे अपने पट्टे के नवीनीकरण के समय पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करेंगी, भले ही पट्टे के क्षेत्र या उत्पादन के मामले में कोई वृद्धि न हो। यद्यपि, याचिकाकर्ता उद्योग के अनुसार चूंकि वे पहले ही ई. आई. ए. अधिसूचना, 1994 व्यवस्था और इसके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टीकरण परिपत्रों के तहत अपने खनन पट्टे का नवीनीकरण कर चुके हैं इसलिए ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने का तंत्र उन पर लागू नहीं होगा क्योंकि खनन पट्टा पहले ही नवीनीकृत किया जा चुका है और 2001 से याचिकाकर्ता उद्योग को प्रदान किया गया है। विनम्रतापूर्वक यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता उद्योग का उपरोक्त कथन मान्य नहीं है क्योंकि ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 के खंड 12 के संचालन के अनुसार ई. आई. ए. अधिसूचना, 1994 के संचालन के संबंध में लंबित मामलों के निपटारे तक, ई. आई. ए. अधिसूचना, 1994 के सभी उपबंधों का संचालन और साथ ही छूट पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं या गतिविधियों की सूची के लिए ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 जारी करने की तारीख से 1 वर्ष के बाद काम करना बंद कर देगी। इस प्रकार पर्यावरण मंजूरी ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 के तहत एक अधिदेश होने के कारण याचिकाकर्ता उद्योग को ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 के अधिनियमन से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद एक नए पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन करना चाहिए था, परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. ने छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यावरण विभाग के सचिव को दिनांकित एक पत्र (अनुलग्नक **A**/18) भी जारी किया था जिसमें इस तथ्य की गणना की गई थी कि "खनन पट्टे का नवीनीकरण 04.11.2001 को शोध्य हो गया और मंत्रालय ने इसे उल्लंघन माना है क्योंकि 2001 में पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी खदान का कार्य जारी है। पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बिना खनन परियोजना और खनन गतिविधि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अलावा पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के सचिव से अनुरोध किया गया कि वे मंत्रालय और इस कार्यालय को सूचित करते हुए विधि और प्रक्रिया के अनुसार परियोजना प्रस्तावक अर्थात् याचिकाकर्ता उद्योग के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करें"। 10.01.2013 दिनांकित उपरोक्त पत्र (अनुलग्नक **A**/18) के के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी/परिवादी को सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर (छ.ग.) द्वारा 27.09.2013 दिनांकित पत्र (अनुलग्नक **A**/20) के माध्यम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार याचिकाकर्ता उद्योग के विरुद्ध विधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था। इस प्रकार, परिवाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 15 के तहत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दल्ली राजहरा, जिला-बालोद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे दाण्डिक प्रकरण सं. 422/2017 के रूप में दर्ज किया गया था। विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला- बालोद ने दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 59/2018 में सही अभिनिर्धारित किया था कि चूंकि 31.01.2017 दिनांकित परिवाद (अनुलग्नक **P**/2) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत एक "लोक सेवक" है। इस प्रकार द.प्र.सं. की धारा 200 के उपबंधों के अनुसार परिवादी और साक्षियों का परीक्षण आवश्यक नहीं है। इसलिए, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला-बालोद ने द.प्र.सं. की धारा 200 के तहत उपबंधों का पालन किया है और अपराध का उचित रूप से संज्ञान लिया है और द.प्र.सं. की धारा 204 के तहत समन्स जारी किया है। अंत में यह विनम्रतापूर्वक निवेदन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल इस स्तर पर कथित अभियुक्त को समन्स जारी किया है और परिवाद में कथन विचारण के दौरान पक्षों द्वारा साक्ष्य के अधीन है और जो विचाराधीन है और इसका अपीलीय संस्था के समक्ष निर्णयन नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों और सामग्रियों का परिशीलन किया है।

11. इस न्यायालय ने 08.02.2023 दिनांकित अंतरिम आदेश के माध्यम से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दल्लीराजहरा द्वारा संज्ञान लिया जाकर पारित 11.09.2017 दिनांकित आक्षेपित आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन को स्थगित कर

याचिकाकर्ताओं को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। उक्त अंतरिम आदेश आज तक जारी है।

12. शिकायत के परिशीलन मात्र से ही पता चलता है कि न केवल याचिकाकर्ता-कंपनी परन्तु उसके अधिकारियों को भी अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध मूल आरोप यह है कि उन्होंने सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना खनन कार्य जारी रखा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है। 14.09.2006 दिनांकित अधिसूचना का उल्लंघन किए जाने का आरोप है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दल्ली राजहरा ने अपने 11.09.2017 दिनांकित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध 02.12.2017 को उनकी उपस्थिति के लिए समन्स जारी करने का निर्देश दिया है। यद्यपि, आदेश पत्रक परिशीलन से, यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता उक्त दिनांक पर उपस्थित नहीं हुए थे और मामला 02.01.2018 के लिए निर्धारित किया गया था। उक्त आदेश को याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर कर चुनौती दी गई है, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि धारा 200 के उपबंधों को देखते हुए मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता तथा साक्षियों का परिक्षण करने की आवश्यकता नहीं है यदि कोई लोक सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्यों को उन्मुक्त करने हेतु कार्य कर रहा है या कार्य करने का इरादा रखता है या न्यायालय ने शिकायत की है। यद्यपि, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के किसी भी उपबंध या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना का उल्लंघन नहीं किया है। यह याचिकाकर्ताओं का प्रकरण है कि याचिकाकर्ताओं ने 02.11.2000 को खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। उक्त पट्टे का 20 वर्ष के लिए खनिज संरक्षण नियमों के नियम 24क के उपबंधों के संदर्भ में नवीनीकरण किया गया था और मंत्रालय ने खनन पट्टे के नवीनीकरण के मामलों में ई. आई. ए. 1994 के लागू होने के संबंध में एक परिपत्र जारी किया जिसमें स्पष्ट किया गया था कि यदि मूल रूप से स्वीकृत पट्टे

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के क्षेत्र और/या उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी तो खनन पट्टे के नवीनीकरण के समय पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। मंत्रालय द्वारा 28.10.2004 को आगे यह स्पष्ट किया गया कि 5 हेक्टेयर से अधिक पट्टा क्षेत्र के प्रमुख खनिजों की सभी खनन परियोजनाएं जिन्होंने अब तक ई. आई. ए. 1994 के तहत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं किया है, वे अपने पट्टे के नवीनीकरण के समय करेंगे। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ताओं ने इस खनन पट्टे से लौह अयस्क के उत्पादन स्तर अर्थात् 0.96 एम. टी. पी. ए. को कभी भी पार नहीं किया। केवल तभी जब याचिकाकर्ता ने ई. आई. ए. 2006 के संदर्भ में 60 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक नया खनन खण्ड अर्थात् दुल्की खोलकर उत्पादन क्षमता को मौजूदा 0.96 एम. टी. पी. ए. से 1.46 एम. टी. पी. ए. तक बढ़ाने की योजना बनाई, याचिकाकर्ता ने पर्यावरण मंजूरी प्रदान किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ताओं को मंत्रालय द्वारा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु पर्यावरण मंजूरी 26.03.2015 को प्रदान की गई और 31.01.2017 को ई. आई. ए. 2006 के उल्लंघन हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 19 सहपठित धारा 15 व 16 तथा जल अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि 27.01.1994 दिनांकित ई. आई. ए. अधिसूचना का 27.01.1994 दिनांकित ई. आई. ए. अधिसूचना के स्पष्टीकरण लेख की कण्डिका 8 के साथ पठन स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता/सेल को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने से छूट प्रदान करता था क्योंकि उसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम से प्राप्त अनापत्ति सहित राज्य सरकार के समस्त सुसंगत मंजूरी प्राप्त थे तथा उत्पादन भी 27.01.1994 से काफी पहले प्रारंभ हुआ था। खनन पट्टा 03.11.2001 तक वैध था और याचिकाकर्ता ने इसकी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष पहले 02.11.2000 पर नवीनीकरण के लिए विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे 20 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 04.11.2001 से 03.11.2021 के लिए नवीनीकृत किया गया था। 12.02.2002 दिनांकित परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मूल रूप से स्वीकृत पट्टे और/या उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी तो खनन पट्टे के नवीनीकरण के समय पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। 12.02.2002, 28.10.2004, 07.12.2004 और 24.05.2005 दिनांकित परिपत्र जारी होने से बहुत पहले से ही 04.11.2001 के प्रभाव से याचिकाकर्ता का पट्टा 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था और खनन पट्टे का नवीनीकरण 03.11.2021 को तीन सुसंगत परिपत्र जारी करने की तारीख को शोध्य हुआ था और इस तरह, उक्त परिपत्रों का याचिकाकर्ताओं के प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13. विद्वान मजिस्ट्रेट को उपरोक्त तथ्यों को समझने के बाद ही आदेशिका जारी करनी चाहिए थी। दाण्डिक प्रकरण में अभियुक्त को आहूत करना एक गंभीर मामला है और विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित याचिकाकर्ताओं को आहूत करने वाला आदेश यह नहीं दर्शाता है कि उसने प्रकरण के तथ्यों और उस पर लागू विधि के उपबंधों पर अपने विवेक का उपयोग किया था। याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध यहां कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। इसके अलावा, विद्वान मजिस्ट्रेट को यह विचार करना चाहिए था कि शिकायत दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुई है। एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के कथित उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए 10.01.2013 दिनांकित पत्र के माध्यम से निर्णय लिया था, यद्यपि, उक्त निर्णय को केवल 4 वर्ष से अधिक की अवधि के बाद कार्रवाई में परिवर्तित किया गया था, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पुनरीक्षण याचिका में भी, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की यांत्रिक तरीके से पुष्टि की है और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है।

14. **हसमुखलाल डी. वोरा व एक अन्य** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है :

"22. प्रारंभिक अन्वेषण और शिकायत दर्ज करने मध्य चार वर्ष से अधिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का अंतराल रहा है, और पर्याप्त समय बीतने के बाद भी, शिकायत में दावों को बनाए रखने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। जैसा कि इस न्यायालय ने बिजॉय सिंह व एक अन्य बनामबिहार राज्य (2002) 9 एस. सी. सी. 147) के के में अभिनिर्धारित किया था, अत्यधिक विलंब, यदि उचित रूप से समझाया नहीं गया है, तो अभियोजन पक्ष के के के लिए घातक हो सकती है। निर्णय के सुसंगत भाग का उद्धरण नीचे दिया जा रहा है : (एस. सी. सी. पृ. 153, कंडिका 7)

> "7.....जहां भी देरी पाई जाती है, अभियोजन पक्ष द्वारा समझाया जाना आवश्यक है। यदि विलंब को उचित रूप से समझाया जाता है, तो कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, परन्तु विलंब की व्याख्या करने में विफलता के लिए न्यायालय को अभियोजन पक्ष के संस्करण की बारीकी से जांच करने की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराध में फंसाया गया है या नहीं। विलंब का स्पष्टीकरण मांगने के लिए अभियुक्त पर जोर देना विधि की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की विलंब की व्याख्या करना सदैव अभियोजन पक्ष का काम है और यदि उचित, प्रशंसनीय और पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाता है, इसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. वर्तमान प्रकरण में, उत्तरवादी ने प्रारंभिक स्थल निरीक्षण, कारण बताओ नोटिस और शिकायत के मध्य चार वर्ष से अधिक की असाधारण विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वस्तुतः इस तरह के

स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति केवल न्यायालय को दाण्डिक कार्यवाही शुरू करने के पीछे कुछ भयावह उद्देश्य का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करती है।

24. यद्यपि अपने आप में अत्यधिक विलंब एक दाण्डिक परिवाद को रद्द करने के लिए आधार नहीं हो सकती है, ऐसे मामलों में, इस तरह की अवधि की अस्पष्टीकृत अत्यधिक विलंब को एक दाण्डिक परिवाद को रद्द करने के आधार के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में विचार किया जाना चाहिए।

25. यद्यपि यह न्यायालय दाण्डिक परिवाद के स्तर पर पूर्ण अन्वेषण की उम्मीद नहीं करती है, लेकिन ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त को इतने लंबे समय तक दाण्डिक कार्यवाही शुरू करने की आशंका है, न्यायालय के लिए अन्वेषण अधिकारियों से न्यूनतम साक्ष्य की उम्मीद करना उचित है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **इनोक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के के में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

"34. इस संबंध में, पेप्सी फूड्स लिमिटेड (पूर्वोक्त) के के में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना सुसंगत होगाः

"28. दाण्डिक के में किसी अभियुक्त को आहूत करना एक गंभीर मामला है। दाण्डिक विधि को निश्चित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि परिवादी को दाण्डिक विधि लागू करने के लिए शिकायत में अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए केवल दो साक्षियों को लाना पड़ता है। अभियुक्त को आहूत करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने

के के तथ्यों और उस पर लागू विधि पर अपना दिमाग लगाया है। उसे शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और उसके समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों की जांच करनी होगी और क्या यह परिवादी को अभियुक्त का अपराध स्थापित करने में सफल बनाने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं है कि अभियुक्त को बुलाने से पहले प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करते समय मजिस्ट्रेट मूक दर्शक होता है। मजिस्ट्रेट को अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है और वह स्वयं भी परिवादी और उसके साक्षियों से सवाल कर सकता है ताकि आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए जवाब प्राप्त किया जा सके या फिर यह जांच की जा सके कि क्या कोई अपराध सभी या किसी भी अभियुक्त द्वारा किया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि दाण्डिक के में किसी अभियुक्त को आहूत करना एक गंभीर मामला है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त को समन्स भेजने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने प्रकरण के तथ्यों और उस पर लागू विधि पर अपने विवेक का उपयोग किया है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मजिस्ट्रेट को परिवाद में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और उसके समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों की जांच करने की आवश्यकता है और यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या यह अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त को आहूत करने से पहले प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने के समय मजिस्ट्रेट मूक दर्शक नहीं होता है।

36. सुनील भारती मित्तल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, {(2015) 4 एस. सी. सी. 609 : 2015 आई. एन. एस. सी. 18}, महमूद उल रहमान बनाम खजीर मोहम्मद टुंडा और अन्य, {(2015) 12 एस. सी. सी. 420} और कृष्ण लाल चावला व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और व एक अन्य {(2021) 5 एस. सी. सी. 435} के प्रकरणों सहित अनेक निर्णयों में उक्त विधि का इस न्यायालय द्वारा लगातार पालन किया गया है।

> "38. आदेशिका जारी करने का आदेश कोई खाली औपचारिकता नहीं है। मजिस्ट्रेट को अपने विवेक का उपयोग करने की आवश्यकता होती है कि प्रकरण में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं। इस तरह मत के गठन को आदेश में ही बताया जाना आवश्यक है। यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय कोई कारण नहीं बताया जाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रकरण है, तो आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदेश में विस्तृत कारण शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में सुनील भारती मित्तल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जो इस प्रकार हैः
>
> > "51. दूसरी ओर, संहिता की धारा 204 प्रक्रिया के मुद्दे से संबंधित है, यदि मजिस्ट्रेट मत में किसी अपराध का संज्ञान लेते हुए, कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। यह धारा दाण्डिक कार्यवाही शुरू करने से संबंधित है। यदि मजिस्ट्रेट प्रकरण का संज्ञान लेते हुए (वह मजिस्ट्रेट हो सकता है जो शिकायत प्राप्त कर रहा हो या जिसे धारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

192 के तहत इसे हस्तांतरित किया गया हो), अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने पर (अर्थात् शिकायत, परिवादी और उसके साक्षियों की परीक्षण, यदि मौजूद हो, या परीक्षण की रिपोर्ट, यदि कोई हो), यह सोचता है कि किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करेगा।

52. आदेशिका प्रदान किए जाने या अस्वीकार करने के बारे में एक व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है और इसका न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।किसी व्यक्ति को केवल परिवाद प्रस्तुत होने के कारण न्यायालय में नहीं घसीटा जाना चाहिए। यदि कोई प्रथम दृष्टया के बनाया गया है, तो मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करनी चाहिए और इसे केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह सोचता है कि इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होने की संभावना नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

53. यद्यपि, धारा 204 में दिखाई देने वाले "कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार" शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह वे शब्द हैं जो पर्याप्त रूप से सुझाव देते हैं कि विवेक का उपयोग करने के बाद ही मत बनाई जानी है कि उक्त अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और इस तरह मत का गठन आदेश में ही कहा जाना है। यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय कोई कारण नहीं बताया जाता है

कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रकरण है, तो आदेश अपास्त किया जा सकता है, यद्यपि आदेश में विस्तृत कारणों की आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्य से, यदि दिया गया कारण प्रत्यक्ष रूप से गलत साबित होता है तो आदेश विधि की दृस्टि से दोष पूर्ण होगा।"

16. वर्तमान प्रकरण में भी, हम पाते हैं कि आदेशिका को जारी करते समय विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा नाममात्र भी विवेक का उपयोग नहीं है जो एक यांत्रिक तरीके से किया गया है और केवल इस आधार पर, याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय को उत्तरवादी द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में कोई सार नहीं मिलता है और इस तरह, विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 59/2018 में पारित 23.09.2019 दिनांकित आदेश के साथ-साथ विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दल्ली राजहरा, जिला- बालोद द्वारा दाण्डिक परिवाद सं. 422/2017 का पंजीकरण रद्द किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. परिणामस्वरूप, यह याचिका स्वीकार की जाती है। 08.02.2023 को पारित अंतरिम आदेश को आत्यंतिक बना दिया जाता है।

सही/-

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही**

अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur